राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 के कार्य बिंदुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र सं	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु** **(क)** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्राकृतिक आपदाग्रस्त घोषित जिलों से संबंधित अधिसूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी है। (कार्यवाही – वित्त विभाग)	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु** **(क)** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्राकृतिक आपदाग्रस्त घोषित स्थानों के संबंध में स्थिति के अनुरुप निर्णय लेने को संबंधी प्रक्रिया हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	(ख) कृषि ऋणों के गैर–निष्पादित अस्तियों के निर्धारण हेतु कृषि विभाग द्वारा अल्पावधि एव ंदीर्घावधि फसल की बुआई एवं कटाई हेतु समय सारणी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उनकी अग्रिम कार्यवाही उपलब्ध कराया जाना। (कार्यवाही – कृषि विभाग)	**(ख)** कृषि विभाग द्वारा गैर–निष्पादित अस्तियों के निर्धारण हेतु अल्पावधि एव ंदीर्घावधि फसल की बुआई एवं कटाई हेतु समय सारणी उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसका अनुमोदन आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक में की जानी प्रस्तावित है।
	(ग) पिरुल नीति के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 02 जुलाई, 2019 में उठाए गए बिंदुओं पर उरेडा विभाग द्वारा नीति स्पष्ट की जानी है। (कार्यवाही – ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग)	**(ग)** दिनांक 02 जुलाई, 2019 को पिरुल नीति के संबंध में आयोजित बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर उरेडा विभाग द्वारा स्पष्टीकरण निम्नवत अवगत कराया गया है। (i) पिरुल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत आपूर्ति लाइन बिछाने पर होने वाला व्यय यू.पी.सी.एल. द्वारा हो वहन किया जाना है। इसलिए परियोजना लागत में विद्युत लाइन बिछाने की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाना है। (ii) परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु पिरुल भण्डारण की लागत (12 माह हेतु) को परियोजना लागत में सम्मिलित किया गया है। (iii) पिरुल भण्डारण हेतु बीमा मै. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मै. बजाज केपिटल ब्रोकिंग लिमिट के माध्यम से किया जाएगा।
	(घ) कृषि विभाग राज्य के परिप्रेक्ष्य में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग से संबंधित Model Act : Agriculture Produce & Livestock Contract Farming and Services (Promotion & Facilitation) Act 2018 के प्रावधानों को राज्य के संदर्भ में अध्ययन कर, अपेक्षित संशोधन के विषय में राज्य सरकार की opinion से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएं। (कार्यवाही – कृषि विभाग)	**(घ)** कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट के अधिकांश प्रावधान यद्यपि APMC Act 2011 के तहत कवर किए गए हैं, परंतु भारत सरकार के इस विषयक मॉडल एक्ट के अनुरुप कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंक को APMC Act 2011 के प्रावधानों से बाहर लाए जाने / APMC Act 2011 के तहत जारी रखने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।
	(ङ) किसान क्रेडिट कार्ड से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए दिनांक 15.08.2019 से 45 दिन के लिए चलाए जा रहे अभियान में ऐसे सभी कृषक जो कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें रु 3.00 लाख तक की सीमा के भीतर एक अतिरिक्त रु 1.0 लाख की उप–सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है। इस पर Interest Subvention / prompt repayment Incentive भी लागू होगा। वे कृषक जो पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, उन्हें रु 2.00 लाख की ऋण सीमा के साथ एक नया के.सी.सी. प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिस पर Interest Subvention / prompt repayment Incentive भी लागू होगा, के अंतर्गत के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त किए जाने हेतु कृषि विभाग, पशुपालन विभाग	**(ङ)** वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिलों में चलाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी रेखीय विभागों (कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग) के सहयोग से बैंकों द्वारा **526** कैम्प आयोजित कर **11,908** के.सी.सी. जारी किए गए। जिसमें अंतिम 15 दिन पंचायती राज चुनाव आचार संहिता के कारण 12 जिलों में कैम्प नहीं लगाए जा सके।

	एवं उद्यान विभाग गाँव में कैम्प के माध्यम से ऋण आवेदन पत्र source कर बैंकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही – कृषि विभाग, पशुपालन विभाग एवं उद्यान विभाग)	
	(च) पर्यटन विभाग वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत समस्त जनपदों में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी की बैठक शीघ्र आयोजित कर प्राप्त ऋण आवेदन पत्र बैंकों को वित्तपोषण हेतु प्रेषित करेंगे। (कार्यवाही – पर्यटन विभाग)	**(च)** पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत समस्त जनपदों में जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी के स्तर से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक **157** ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किया जाना सूचित किया गया है।
	(छ) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखड की 70वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2019 के एजेण्डा संख्या 8(vi) के संदर्भ में विभाग से होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के बिंदु संख्या – 1 के संदर्भ में वर्णित संशोधन (भू–उपयोग परिवर्तन) के विषय में वांछित स्पष्टीकरण लम्बित है। (कार्यवाही – पर्यटन विभाग)	**(छ)** विभाग से होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के संदर्भ में वर्णित संशोधन (भू–उपयोग परिवर्तन) के विषय में स्पष्टीकरण की अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसका विवरण निम्न है : — दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना नियमावली 2018 (समय–सयम पर यथासंशोधित) में नियम 4 के उप–नियम (3) में निम्नवत परंतुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात "परंतु यह कि पुराने भवनों की वर्तमान संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।" — सुविधाओं का उच्चीकरण, आंतरिक साज–सज्जा एवं नवीनीकरण संबंधी कार्य। — शौचालयों के निर्माण संबंधी कार्य, जिनमें ₹ 2.00 लाख से अधिक की धनराशि का व्यय निहित हो।
	(ज) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजनांतर्गत बड़े ऋण राशि के ऋण प्रस्ताव के स्थान पर छोटी राशि (₹ 5 से ₹ 15 लाख तक) के ऋण प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान कर संबंधित विभाग एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी (DLTFC) द्वारा बैंकों को प्रेषित किए जाएं। (कार्यवाही – पर्यटन विभाग)	**(ज)** दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजनांतर्गत छोटी राशि (**₹ 5 लाख** से **₹ 15 लाख तक**) के ऋण प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभाग एवं जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी द्वारा बैंकों को प्रेषित किया जाने हेतु नोट किया गया है।
	(झ) आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर जून, 2019 तक व्यय की गयी लम्बित राशि रु 114.11 लाख की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को किया जाना ग्राम्य विकास विभाग से अपेक्षित है।	**(झ)** आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर जून, 2019 तक व्यय की गयी लम्बित राशि में से **₹ 15.08 लाख** की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की गयी है।
	(झ –i) आरसेटी संस्थान चम्पावत में भवन निर्माण हेतु Border Area के आधार पर विशेष धनराशि का अनुमोदन किया जाना शासन से अपेक्षित है। (कार्यवाही – ग्राम्य विकास विभाग)	**(झ –i)** आरसेटी संस्थान चम्पावत में भवन निर्माण हेतु Border Area के आधार पर विशेष धनराशि के प्रस्ताव का अनुमोदन शासन स्तर से किया जाना प्रतीक्षित है।
	(ञ) एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा बनाए गए ऑन–लाइन पोर्टल पर क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। (कार्यवाही – एन.यू.एल.एम.,एन.आर.एल.एम. एवं बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम)	**(ञ)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं की प्रगति से संबंधित आँकड़े, जो कि अग्रणी बैंक कार्यालय, विभिन्न बैंकों एवं संबंधित विभागों से प्राप्त होते हैं, में भिन्नता पायी जाती है, जिससे वास्तविक प्रगति का आंकलन करने में व्यवधान / कठिनाई होती है। अतः प्रगति के सही एवं वास्तविक आँकड़ों का संकलन करने हेतु संबंधित विभागों द्वारा प्रायोजित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान ऋण योजनाओं का ऑन–लाइन पोर्टल तैयार करना एवं पोर्टल का क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित है। एन. आर.एल.एम. विभाग द्वारा पोर्टल बनाए जाने की पुष्टि कर दी गयी है।

	(ट) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एन.आर.एल.एम. / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / होम स्टे / स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि में वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष संबंधित विभाग पर्याप्त ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें। (कार्यवाही – ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / समाज कल्याण विभाग)	**(ट)** संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर, 2019 त्रैमास में बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण निम्नवत है : <table><tr><th colspan="2">योजना</th><th>वार्षिक लक्ष्य</th><th>प्रेषित ऋण आवेदन पत्र</th></tr><tr><td colspan="2">एन.आर.एल.एम.</td><td>7610</td><td>7434</td></tr><tr><td colspan="2">वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</td><td>300</td><td>157</td></tr><tr><td colspan="2">होम स्टे</td><td>.</td><td>128</td></tr><tr><td rowspan="4">एस.सी.पी.</td><td>अनुसूचित जाति</td><td>1463</td><td>817</td></tr><tr><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>अल्पसंख्यक समुदाय</td><td>225</td><td>38</td></tr><tr><td>कुल</td><td>1788</td><td>935</td></tr></table>
	(ठ) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. को कम करने हेतु रेखीय विभाग तथा आर.सी. खातों में वसूली हेतु राजस्व विभाग बैंकों का सहयोग करें। (कार्यवाही – संबंधित विभाग)	**(ठ)** सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. को कम करने हेतु तथा आर.सी. खातों में वसूली हेतु संबंधित विभागों द्वारा बैंकों का सहयोग किया जाना अपेक्षित है। सितम्बर, 2019 त्रैमास में आर.सी. के **5,837** खातों में **₹ 38.68 करोड** की वसूली हुई है।
2.	**नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु** नाबार्ड द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से समुचित कार्ययोजना बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुक्रम में benchmark उपलब्ध कराया जाना है।	**नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु** भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुक्रम में उत्तराखंड शासन द्वारा सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली समिति में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से समुचित कार्ययोजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
3.	**बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु** **(क)** बैंकिंग सुविधाओं से रहित शेष 12 गाँवों में 31 अगस्त, 2019 तक बी.सी. नियुक्त किया जाना है। (कार्यवाही – एस.बी.आई./पी.एन.बी./यू.जी.बी.) **(ख)** चयनित 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. में से लम्बित 86 एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति India Post Payments Bank द्वारा बैंकिंग आधारभूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक से पूर्व किया जाना है। भारतीय स्टेट बैंक – 68, पंजाब नेशनल बैंक – 08, बैंक ऑफ बड़ौदा – 05, नैनीताल बैंक – 03, बैंक ऑफ इण्डिया – 01 एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक – 01 **(ग)** बैंकों में वर्तमान में समस्त कार्यरत Business Correspondent को मार्च, 2022 तक तथा नए बी.सी. को 9 माह के अंदर B.C. Certification कोर्स करवाकर, Business Correspondent की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रारुप पर 31 अक्टूबर, 2019 तक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा B.C. Certification कोर्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रेषित करें। <table><tr><th>Total No. of B.C</th><th>No. of B.C. completed B.C. Certification Course</th><th>No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	**बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु** **(क)** बैंकिंग सुविधाओं से रहित शेष 12 गाँवों में से **11** गाँवों में संबंधित बैंकों द्वारा बी.सी. नियुक्त कर दिए गए हैं तथा **01** गाँव (रलम, जिला पिथौरागढ़), जोकि पंजाब नेशनल बैंक को आबंटित है, में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जानी शेष है। **(ख)** सितम्बर, 2019 तक लम्बित एस.एस.ए. की स्थिति निम्नवत है : <table><tr><th>Name of Bank</th><th>Pending SSAs where B.C. has to be appointed</th></tr><tr><td>State Bank of India (Haldwani Module – 08)</td><td>08</td></tr><tr><td>Punjab National Bank</td><td>01</td></tr><tr><td>Nainital Bank</td><td>01</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>10</td></tr></table> **(ग)** B.C. Certification कोर्स की प्रगति निम्नवत है : <table><tr><th>Total No. of B.C</th><th>No. of B.C. completed B.C. Certification Course</th><th>No. of remaining B.C. for completion of B.C. Certification Course</th></tr><tr><td>2086</td><td>575</td><td>1511</td></tr></table>

<table>
<tr><td></td><td>(घ) संबंधित बैंक द्वारा अपने लम्बित वी.–सैट आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक तक स्थापित करना सुनिश्चित करें।</td><td>(घ) जून, 2019 त्रैमास में वी.–सैट लगाने हेतु लम्बित 20 स्थानों के सापेक्ष वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग सुविधा वैकल्पिक रुप से उपलब्ध होने की सूचना के आधार पर स्थिति को अद्यतन करते हुए, यह पाया गया है कि वर्तमान में 04 स्थानों बूँदी, गर्बयांग एवं दानीबागर टागा (भारतीय स्टेट बैंक) तथा रालम (पंजाब नेशनल बैंक) पर वी.–सैट लगाना लम्बित है</td></tr>
<tr><td></td><td>(ङ) एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत पिछले त्रैमास में जिन इकाइयों के ऋण खाते बंद हो चुके हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं।</td><td>(ङ) एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत पिछले त्रैमास में कुल 2704 इकाइयों के ऋण खाते बंद होना बैंकों द्वारा सूचित किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(च) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजनांतर्गत एन.पी.ए. में पूर्व संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का एन.पी.ए. का डाटा / सूचना अलग से उपलब्ध करवाएं।</td><td>(च) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) योजनांतर्गत एन.पी.ए. में पूर्व संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का एन.पी.ए. का डाटा / सूचना अलग से प्रमुख बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी निम्नवत है :
<table>
<tr><th rowspan="2">Scheme</th><th colspan="2">Total outstanding</th><th colspan="3">GNPA</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Amt.</th><th>No.</th><th>Amt.</th><th>%</th></tr>
<tr><td>SGSY</td><td>2668</td><td>979.76</td><td>968</td><td>432.13</td><td>44.11</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(छ) पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत इकाइयों को 30 सितम्बर, 2019 तक ई.डी.पी. प्रशिक्षण में छूट दी गयी है। अतः बैंक पात्र ऋण आवेदकों को स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त जारी कर, मार्जिन मनी क्लेम (ऑन–लाइन) सबमिट करें।</td><td>(छ) पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत इकाइयों को ई.डी.पी. प्रशिक्षण में छूट का लाभ आवेदकों को पहुँचाने हेतु बैंकों द्वारा पात्र 1,025 ऋण आवेदकों को ऋण स्वीकृत करते हुए ₹ 12.71 करोड मार्जिन मनी हेतु क्लेम (ऑन–लाइन) सबमिट किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ज) किसान क्रेडिट कार्ड से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए दिनांक 15.08.2019 से 45 दिन के लिए चलाए जा रहे अभियान में ऐसे सभी कृषक जो कृषि के साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें ₹ 3.00 लाख तक की सीमा के भीतर एक अतिरिक्त ₹ 1.00 लाख की उप–सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना है। इस पर Interest Subvention / prompt repayment Incentive भी लागू होगा। वे कृषक जो पशुपालन एवं मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, उन्हें रु 2.00 लाख की ऋण सीमा के साथ एक नया के.सी.सी. प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिस पर Interest Subvention / prompt repayment Incentive भी लागू होगा, के अंतर्गत के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को ऋण आवेदन पत्र Source होने के 15 दिन के अंदर ऋण वितरित करना सनिश्चित करें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</td><td>(ज) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने के लिए एक अभियान दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 45 दिन के लिए राज्य के समस्त जिलों में चलाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अग्रणी जिला प्रबंधक एवं सभी रेखीय विभागों (कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग) के सहयोग से बैंकों द्वारा 526 कैम्प आयोजित कर 11,908 के.सी.सी. जारी किए गए। जिसमें अंतिम 15 दिन पंचायती राज चुनाव आचार संहिता के कारण 12 जिलों में कैम्प नहीं लगाए जा सके।</td></tr>
<tr><td></td><td>(झ) सभी कृषि ऋण खातों को अनिवार्य रुप से बीमित करने के उपरांत डाटा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(ञ) वित्तीय वर्ष 2019–20 में वार्षिक ऋण योजना के अंतगत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष Sector-wise, विशेष रुप से कृषि क्षेत्र में फसली ऋणों एवं सावधि ऋणों के लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।</td><td>(झ) बैंकों द्वारा कृषि ऋण खातों में 1,21,778 किसानों को बीमा से आच्छादित करने के उपरांत डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा सूचित किया गया है।

(ञ) वित्तीय वर्ष 2019–20 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों को आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष सितम्बर, 2019 त्रैमास में सेक्टरवार निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>सेक्टर</th><th>लक्ष्य</th><th>उपलब्धि</th><th>%</th></tr>
<tr><td>फार्म</td><td>10385.05</td><td>3966.28</td><td>38</td></tr>
<tr><td>नॉन फार्म</td><td>8031.49</td><td>5387.06</td><td>67</td></tr>
<tr><td>अन्य प्राथमिकता क्षेत्र</td><td>3594.74</td><td>971.81</td><td>27</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>22011.28</td><td>10325.15</td><td>47</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td></td><td>(ट) निजी बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। अतः वे ऋण वितरण कर लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे।</td><td>(ट) निजी बैंकों के द्वारा सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण नैनीताल बैंक एवं आई.डी.बी.आई. बैंक द्वारा ही किया जा रहा है तथा अन्य निजी बैंकों की प्रगति लगभग शून्य है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ठ) दूरस्थ क्षेत्रों में सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक द्वारा यदि कोई मोबाइल वैन द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रहो है, तो वे मोबाइल वैन पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नाबार्ड को प्रेषित करें।</td><td>(ठ) दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप–समिति की बैठक में नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि टिहरी, कोटद्वार, हरिद्वार, पिथौरागढ़ डी.सी.सी.बी. द्वारा मोबाइल वैन पर किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा प्रतीक्षित है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ड) सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त समस्त ऋण आवेदन पत्रों का 45 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा 45 दिन से अधिक ऋण आवदन पत्रों को लम्बित माना जाएगा।</td><td>(ड) सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सब–स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 2019 में अवगत कराया गया कि सभी बैंक प्राप्त समस्त ऋण आवेदन पत्रों का 30 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे तथा 30 दिन से अधिक ऋण आवेदन पत्रों को लम्बित माना जाएगा।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु
(क) बैंकिंग सुविधाओं से लम्बित एस.एस.ए. में से 50 एस.एस.ए. को 5 किलोमीटर की परिधि (Distance measurement) के आधार पर संतृप्त माने जाने की स्थिति का पुनः परीक्षण कर, पुष्टि की जानी है, जिससे कि कोई भी गाँव बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न रह जाए।</td><td>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु
(क) बैंकिंग सुविधाओं से लम्बित एस.एस.ए. में से 50 एस.एस.ए. को 5 किलोमीटर की परिधि (Distance measurement) के आधार पर संतृप्त माने जाने की स्थिति का पुनः परीक्षण करने के उपरांत पुष्टि की गयी है कि संबंधित सूची में वर्णित गाँव बैंकिंग सुविधाओं से संतृप्त पाए गए हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख) भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरुप सभी अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए शेष पात्र कृषकों को के.सी.सी. वितरण हेतु ऋण आवेदन पत्र source कराने हेतु कैम्पों की निगरानी करेंगे।

दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 के दौरान के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान की प्रगति साप्ताहिक अंतराल पर प्रेषित करें।</td><td>(ख) दिनांक 15 अगस्त, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 के दौरान के.सी.सी. से अलाभान्वित कृषकों को के.सी.सी. से संतृप्त करने हेतु चलाए जाने वाले विशेष अभियान की प्रगति साप्ताहिक अंतराल पर रिपोर्ट की गयी है, जिसके अनुसार राज्य में 11,908 कृषकों को के.सी.सी. वितरित किए गए हैं। जिसमें अंतिम 15 दिन पंचायती राज चुनाव आचार संहिता के कारण 12 जिलों में कैम्प नहीं लगाए जा सके।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग) अग्रणी जिला प्रबंधक पौड़ी जिले का ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने हेतु आयोजित बैठक में बनायी गयी कार्य योजना / रणनीति को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें एवं बैठक में मण्डल आयुक्त गढ़वाल द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत बैंकों को आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु follow up करें तथा योजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</td><td>(ग) अग्रणी जिला प्रबंधक पौड़ी द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु जिले में कार्यरत समस्त बैंक शाखाओं को निर्देशित कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग–i) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरुप अल्मोड़ा जिले में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाए जाने हेतु कार्ययोजना बनायी जानी लम्बित है, के विषय में आयुक्त कुमायूँ / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शीघ्र बैठक कर कार्ययोजना बनाने की पुष्टि करें।</td><td>(ग–i) मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने हेतु विशेष रणनीति / कार्ययोजना तैयार करने हेतु बैठक का आयोजन दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को कर लिया गया है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>(घ) निम्न जिलों का ऋण–जमा अनुपात जून, 2019 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है, जिसे बढ़ाने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधक को संबंधित विभागों एवं बैंकों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समग्र प्रयाग करने होंगे।
<table>
<tr><td>जिला</td><td>जून, 2019</td><td>जिला</td><td>जून, 2019</td></tr>
<tr><td>अल्मोड़ा</td><td>24%</td><td>रुद्रप्रयाग</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>पौड़ी</td><td>24%</td><td>बागेश्वर</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>टिहरी</td><td>38%</td><td>चम्पावत</td><td>27%</td></tr>
</table>
</td>
<td>(घ) निम्न जिलों का ऋण–जमा अनुपात जून, 2019 त्रैमास के सापेक्ष सितम्बर, 2019 त्रैमास में निम्नानुसार रहा है।
<table>
<tr><td>जिला</td><td>सितम्बर, 2019</td><td>जिला</td><td>सितम्बर, 2019</td></tr>
<tr><td>अल्मोड़ा</td><td>22%</td><td>रुद्रप्रयाग</td><td>23%</td></tr>
<tr><td>पौड़ी</td><td>24%</td><td>बागेश्वर</td><td>28%</td></tr>
<tr><td>टिहरी</td><td>26%</td><td>चम्पावत</td><td>27%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>आरसेटी से संबंधित कार्य बिंदु
(क) सभी आरसेटी संस्थान Common Norm Certification (CNC) विषयक पुष्टि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को प्रेषित करें।

आरसेटी में अनुमोदित 61 गतिविधियों के अतिरिक्त क्षेत्र विशेष में अपेक्षित नयी गतिविधियाँ सम्मिलित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की संस्तुति के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करें।

(ख) आरसेटी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं टिहरी के भवन निर्माण हेतु प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक तुरंत कार्यवाही करें।</td>
<td>आरसेटी से संबंधित कार्य बिंदु
(क) सभी आरसेटी संस्थान द्वारा Common Norm Certification (CNC) विषयक पुष्टि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को प्रेषित करने तथा संभावित गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे संबंधित सूचना संबंधित आरसेटी संस्थानों से प्रतीक्षित है।

(ख) आरसेटी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ, उत्तरकाशी एवं टिहरी के भवन निर्माण के संबंध में प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तथा हरिद्वार में आरसेटी भवन निर्माण के संबंध में प्रायोजित बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया जाना प्रतीक्षित है।</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>सभी बैंक नियंत्रक 30 सितम्बर, 2019 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1 – 48 पूर्णतः जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट www.slbcuttarakhand.com पर सही एवं वास्तविक आँकड़े दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 तक ऑन–लाइन प्रेषित करें।
(कार्यवाही – समस्त बैंक)</td>
<td>बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन–लाइन डाटा 20 अक्टूबर, 2019 तक अपलोड किए गए हैं।</td>
</tr>
</table>

****